

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अप्रैल, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-07/2016 गृ0आ0 /श्री विशाल शर्मा, भा0पु0से0 (2013), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार को उनकी शादी एवं शादी उपरांत विदेश यात्रा भ्रमण हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 14.04.2016 से 02.06.2016 तक कुल 50 (पचास) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शर्मा के अवकाश अवधि में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-07/2016 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-07/2016 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-07/2016 गृ0आ0 2642 /पटना, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री विशाल शर्मा, भा0पु0से0 (2013), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार/अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कटिहार /आई0टी0 प्रबंधक गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।